भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2184

08 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात का मूल्य

2184. श्री रवनीत सिंह:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस्पात कंपनियों ने इस्पात के मूल्यों में वृद्धि की है और भविष्य में मूल्यों में और वृद्धि होने की संभावना है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस्पात के मूल्यों में इस तेज वृद्धि का देश में प्रयोक्ता तथा कच्ची सामग्री उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सोलर मॉड्यूल की कीमतों में तेज वृद्धि के साथ इस्पात, तांबे और एल्यूमीनियम की कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि के कारण सोलर ईपीसी कंपनियों पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार इस्पात, तांबे और एल्यूमीनियम की कीमतों में इस तेज वृद्धि के कारण प्रयोक्ता और कच्ची सामग्री उद्योग तथा सोलर ईसीपी कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (ङ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण, स्वदेशी इस्पात की कीमतों का निर्धारण माँग एवं आपूर्ति, कच्ची सामग्री की कीमतों में रुझान जैसे विभिन्न कारकों द्वारा होता है और इन पर वैश्विक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। हाल के महीनों में इस्पात की कीमतों में वृद्धि को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ, कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन तथा धीरे-धीरे इसे खोले जाने के बाद माँग एवं आपूर्ति में असंतुलन शामिल हैं। सौर ऊर्जा डेवलपर ने नवीन एवं

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ अपने पारस्परिक संवाद में यह निर्दिष्ट किया है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाले इस्पात की कीमतों में वृद्धि सहित सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए इनपुट/कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा है। हालांकि, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को इस कारणवश प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही सोलर ईपीसी कंपनियों के संबंध में कोई औपचारिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

सरकार ने लोहा एवं इस्पात की स्वदेशी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें फ्रेश फाइंस के 25% तथा 70 मिलियन टन डंप्स तथा टेलिंग्स की बिक्री के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को अनुमति प्रदान करना, सेल द्वारा लौह अयस्क फाइंस की नीलामी को गति प्रदान करना तथा राज्य और केन्द्रीय पीएसयू आदि द्वारा ओडिशा की जब्त की गई कार्यशील खदानों का शीघ्र प्रचालन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बजट 2021-22 में निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई है:

(i) सेमीस, गैर-मिश्रित धातु वाले इस्पात तथा मिश्र धातु इस्पात के कतिपय फ्लैट उत्पादों, गैर-मिश्र धातु, मिश्र धातु तथा स्टेनलेस स्टील के लंबे उत्पादों पर आधारभूत सीमाशुल्क में 7.5% तक की कमी।

(ii) लोहा एवं इस्पात स्क्रैप पर विशिष्ट अवधि के लिए आधारभूत सीमाशुल्क में कमी करके 'शून्य' करना।

(iii) सीआरजीओ के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री पर आधारभूत सीमाशुल्क को 2.5% से कम करके 'शून्य' करना।

(iv) पाटनरोधी शुल्क (एडीडी)/प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) को (क) स्ट्रेट लेंथ बार्स और रॉड्स (ख) नॉन कोबाल्ट ग्रेड का हाई स्पीड स्टील (ग) एल्यूमिनियम जिंक का यशदिकृत फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद (घ) कोल्ड रोल्ड एवं हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील उत्पादों पर से अस्थायी रूप से हटाया जाना।

(v) स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों पर से सीवीडी को समाप्त किया जाना तथा कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टेनलेस स्टील उत्पादों पर से एडीडी को समाप्त करना।

(vi) कॉपर स्क्रैप पर लगने वाले आधारभूत सीमाशुल्क को 5% से घटाकर 2.5% करना।

****